


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(4)आ0प्र0एवं सहा/सामान्य/2020/6249-79 जयपुर, दिनांक 10.05.2021

अधिसूचना

खरीफ फसल वर्ष 2020 (संवत् 2077) में सूखाग्रस्त तहसीलो को अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2020/14727-65 दिनांक 20.11.2020 द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है जिसकी अवधि अधिसूचना की तिथि से 6 माह तक प्रभावी है। राज्य में सूखे की वर्तमान स्थिति को देखते उक्त अवधि को दिनांक 15.07.2021 तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(आनंद कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
17. संम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर, राज.।
18. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड, पाली, प्रतापगढ़, राजस्थान।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
20. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
21. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
22. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
23. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


संयुक्त शासन सचिव